

1. सामान्य

बिक्री के ये नियम व शर्तें, जिन्हें विशेष शर्तें शामिल रहेंगी, फ्लोरा फूड ग्रुप ("फ्लोरा एफजी") से या उसकी ओर से अपने ग्राहकों ("कस्टमर") को सभी वस्तुओं की पेशकश, बिक्री व संग्रह/डिलीवरी को नियंत्रित करती हैं और फ्लोरा एफजी और ग्राहक के बीच सभी एक जैसे लेनदेन पर लागू होते हैं, ("नियम व शर्तें")।

2. प्रयोजन

2.1 "समझौता" का मतलब है फ्लोरा एफजी और ग्राहक के बीच एक स्वीकृत ऑर्डर (जो नीचे परिभाषित है) और नियम व शर्तों के अनुसार फ्लोरा एफजी के उत्पादों की आपूर्ति और खरीद के लिए कोई समझौता, जिसमें फ्लोरा एफजी पुष्टिकरण में चिह्नित किसी भी अन्य वाणिज्यिक दस्तावेज भी शामिल हो सकते हैं। (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है) जिसमें (बगैर किसी सीमा के) फ्लोरा एफजी व्यापार शर्तें, फ्लोरा एफजी नीतियां (www.florafoodgroup.com/supplier-centre), फ्लोरा एफजी के उत्पाद सूची, कोई भी ज्वाइंट बिजनेस प्लान और ऑर्डर शामिल हैं।

2.2 "व्यापार शर्तें" व्यापार अवधि शीर्षक वाला कोई भी दस्तावेज है, जो अन्य बातों के अलावा फ्लोरा एफजी के उत्पादों की सूची और उत्पादों की कीमत (जैसा कि नीचे परिभाषित है) से संबद्ध होता है।

2.3 एक "ज्वाइंट बिजनेस प्लान" एक मार्केटिंग व प्रचार योजना है, जिस पर विनिर्दिष्ट मार्केटिंग और प्रचार पहलों का विवरण देते हुए पार्टियों द्वारा सहमति व्यक्त की जा सकती है।

2.4 ये नियम व शर्तें किसी भी अन्य समान शर्तों के बहिष्कार पर लागू होंगी, जिन्हें ग्राहक लागू करना या शामिल करना चाहता है, चाहे पंचेज ऑर्डर के तहत, खरीदने का ऑफ़र, पुष्टिकरण, रसीद, विनिर्देश या किसी भी अन्य दस्तावेज के तहत, या जो व्यापार, रीति-रिवाज, प्रथा या व्यवहार के तरीके से निहित हैं।

2.5 इन नियमों व शर्तों, फ्लोरा एफजी की उत्पाद सूची, किसी भी संबद्ध व्यापार शर्तों एवं ऑर्डरों के बीच किसी भी टकराव की स्थिति में, ट्रेड अवधि को प्राथमिकता दी जाएगी, इसके बाद ये नियम व शर्तें, फिर फ्लोरा एफजी की उत्पाद सूची और फिर ऑर्डर शामिल हैं।

2.6 फ्लोरा एफजी द्वारा जारी किए गए या फ्लोरा एफजी की वेबसाइटों, कैटलॉग या प्रोशर में मौजूद सभी विवरण, विनिर्देश और विज्ञापन जिनमें वर्णित उत्पादों का अनुमानित आइडिया देने के एकमात्र उद्देश्य के लिए जारी या प्रकाशित किए जाते हैं और अग्रिमेट का हिस्सा नहीं बनेंगे।

3. उत्पादों की आपूर्ति

3.1 फ्लोरा एफजी आपूर्ति करने के लिए सहमत है और ग्राहक संबद्ध ट्रेड अवधि, ज्वाइंट बिजनेस प्लान या फ्लोरा एफजी की उत्पाद सूची ("उत्पाद") में उन निर्दिष्ट उत्पादों को जिसे इस समझौते के अनुरूप ग्राहक द्वारा ऑर्डर दिया गया हो, संबद्ध उत्पाद सूची या ज्वाइंट बिजनेस प्लान में बताए गए मूल्य पर खरीदने के लिए सहमत है, ("मूल्य")। डिलीवरी की तिथि पर फ्लोरा एफजी की उत्पाद सूची में निर्धारित मूल्य पर उत्पादों का इवॉइस बनाया जाएगा।

3.2 अगर पार्टियां किसी उत्पाद के संबंध में एक निश्चित या न्यूनतम खरीद मात्रा के लिए सहमत होती हैं, तो चाहे ग्राहक द्वारा ऑर्डर दिया गया हो या नहीं, फ्लोरा एफजी ग्राहक को उत्पादों की निश्चित/न्यूनतम मात्रा के संपूर्ण मूल्य के लिए इवॉइस बनाने का हकदार होगा।

4. ऑर्डर देना

4.1 ग्राहक उत्पादों के लिए एक पंचेज ऑर्डर ("ऑर्डर") सौंपेगा।

4.2 हरेक ऑर्डर को फ्लोरा एफजी द्वारा केवल तभी स्वीकार किया हुआ माना जाएगा जब इसकी फ्लोरा एफजी द्वारा लिखित रूप में पुष्टि की जाएगी ("फ्लोरा एफजी पुष्टिकरण")।

4.3 प्रत्येक ऑर्डर में ऑर्डर किए गए उत्पादों की मात्रा, आवश्यक डिलीवरी तिथि, संबद्ध डिलीवरी विवरण (किसी भी लागू INCOTERM समेत) और फ्लोरा एफजी द्वारा प्रदान किए जाने वाले किसी भी इम्पोर्ट डॉक्यूमेंट का पूरा विवरण निर्धारित किया जाएगा। फ्लोरा एफजी फ्लोरा एफजी न्यूनतम ऑर्डर मात्रा से कम के ऑर्डर स्वीकार नहीं करेगा।

4.4 अगर ऑर्डर किए गए उत्पाद उपलब्ध नहीं हैं या अगर वह ऑर्डर के तहत आवश्यक डिलीवरी तिथि को पूरा करने में सक्षम नहीं है, फ्लोरा एफजी ग्राहक को सूचित करेगा।

4.5 ग्राहक फ्लोरा एफजी पुष्टिकरण के बाद जारी किए गए ऑर्डर (पूर्ण रूप या आंशिक रूप से) के तहत इसकी वॉल्यूम आवश्यकता को निरस्त करने या कम करने का हकदार नहीं है।

4.6 फ्लोरा एफजी बिक्री या वापसी नीति परीचालित नहीं करता है और न्यूनतम ऑर्डर मात्रा निर्धारित कर सकता है। फ्लोरा एफजी किसी भी ऑर्डर (या ऑर्डर के हिस्से को) को रद्द कर सकता है, किसी भी कारण से निर्माण रोकना चाहिए या काफ़ी देरी होनी चाहिए।

5. वितरण, अधिकार और नुकसान का जोखिम

5.1 फ्लोरा एफजी उत्पादों को लोकेशन पर और ऑर्डर में निर्धारित इंटोप्ट में अनुसार वितरित करेगा।

5.2 उत्पादों के नुकसान और क्षति का जोखिम डिलीवरी के पूरा होने पर (बहुमत INCOTERM के अनुसार) ग्राहक को दिया जाएगा। अगर कोई डिलीवरी अवधि पर सहमति नहीं हुई है, तो पक्ष सहमत होते हैं कि डिलीवरी उत्पादों के स्थान से एकस्र वरस होगी (जैसा कि फ्लोरा एफजी द्वारा निर्धारित किया गया है)। ऑर्डर जारी होने के समय डिलीवरी शर्तों की विवेचना INCOTERMS के उस समय के वर्तमान संस्करण के अनुसार होगी।

5.3 उत्पादों में पूर्ण कानूनी, लाभकारी और न्यायसंगत अधिकार निम्नलिखित से पहले ग्राहक को नहीं दिया जाएगा, जब तक कि:

(a) वह फ्लोरा एफजी को उत्पादों के लिए पूरा भुगतान (नकद या क्लियर फंड में) प्राप्त न हो रहा हो; और

(b) ग्राहक उप-खंड 5.4 के अनुसार उत्पादों को दोबारा न बेचता हो।

5.4 ग्राहक को अपने व्यवसाय के सामान्य आचरण के अंग के रूप में उत्पादों को फिर से बेचने या प्रॉसेस करने का अधिकार होगा, जब तक कि फ्लोरा एफजी ने इसके विपरीत लिखित सूचना नहीं दी हो या खंड 16.2 (b) में निर्धारित घटनाओं में से कोई भी घटित न होती हो, अथवा जब तक समझौता समाप्त नहीं हो जाता हो, हालांकि यह ऐसा फ्लोरा एफजी के एजेंट की बजाए इसके प्रमुख निवारक के रूप में करता हो।

5.5 ग्राहक निम्नांकित करेगा:

(a) ध्यान रखें कि उत्पाद किसी भी शुल्क, ग्रहणाधिकार या बाधा से मुक्त हों;

(b) उत्पादों को उचित तरीके से ऐसी स्थितियों में स्टोर करें, जो उत्पादों की पर्याप्त सुरक्षा और संरक्षण करें;

(c) यदि उप-खंड 16.2 (b) में सूचीबद्ध किसी भी घटना के अधीन हो तो फ्लोरा एफजी को तुरंत सूचित करें;

(d) फ्लोरा एफजी को उत्पादों से संबद्ध ऐसी जानकारी दे, जो फ्लोरा एफजी को समय-समय पर जरूरत पड़े;

(e) उत्पादों या उनकी पैकेजिंग पर किसी भी पहचान के साथ छेड़छाड़ नहीं करना; और

(f) यह ध्यान में रखेगा कि उन्हें किसी भी अन्य ऐसी ही चीजों से अलग रखा जाए, जिससे उन्हें फ्लोरा एफजी की संपत्ति के रूप में स्पष्ट रूप से पहचाना जा सके।

5.6 जब तक फ्लोरा एफजी की पुष्टि के साथ स्पष्ट रूप से कुछ अन्य न कहा जाता हो, फ्लोरा एफजी द्वारा डिलीवरी के लिए कोई भी समय या तिथियां अनुमान हैं और डिलीवरी का समय यामने नहीं रहेगा। किसी भी स्थिति में फ्लोरा एफजी डिलीवरी में किसी भी देरी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। किसी भी उत्पाद की डिलीवरी में देरी से ग्राहक को उनकी डिलीवरी स्वीकार करने की जिम्मेदारी से राहत नहीं मिलेगी।

5.7 अगर ग्राहक डिलीवरी तिथि पर ऑर्डर की डिलीवरी नहीं ले पाता है, तो उत्पादों की डिलीवरी डिलीवरी तिथि के अगले दिन सुबह 9.00 बजे पूरी हो गई मानी जाएगी। फ्लोरा एफजी अपने विवेक से उत्पादों की डिलीवरी होने तक उसे स्टोर करने या उत्पादों को किसी तीसरे पक्ष को बेचने का चुनाव कर सकता है। अगर फ्लोरा एफजी उत्पादों को स्टोर करने का विकल्प चुनता है, तो फ्लोरा एफजी बीमा समेत भंडारण और दुलाई की सभी संबद्ध लागतों और खर्चों के लिए ग्राहक से शुल्क ले सकता है।

5.8 फ्लोरा एफजी द्वारा किसी भी आंशिक डिलीवरी की स्थिति में (a) फ्लोरा एफजी को उन डिलीवरी के लिए इवॉइस बनाने का अधिकार है, जहां उत्पाद ग्राहक द्वारा स्वीकार किए जाते हैं; (b) अगर ग्राहक को बाकी उत्पाद उचित समय के भीतर डिलीवर किए जाते हैं तो ग्राहक आंशिक डिलीवरी स्वीकार करने के लिए बाध्य होगा; और (c) इस समझौते के तहत अन्य अधिकार, दायित्व और उपाय (विलंबित इवॉइस भुगतान पर ब्याज वसूलने के फ्लोरा एफजी के अधिकार समेत) अभी भी उन आंशिक डिलीवरी पर लागू होते हैं।

5.9 फ्लोरा एफजी की आवश्यकता के अनुसार पैलेट कॉन्फिगरेशन परिवर्तन के अधीन हैं।

6. अस्वीकृत उत्पाद

6.1 ग्राहक डिलीवरी के तुरंत बाद मात्रा में अंतर और त्रुटि के लिए उत्पादों का निरीक्षण करेगा। उचित निरीक्षण पर स्पष्ट होने पर ग्राहक 24 घंटे के भीतर फ्लोरा एफजी को सूचित करेगा या छिपी हुई त्रुटियों की स्थिति में, उत्पादों की डिलीवरी से 3 सप्ताह के बाद किसी भी स्थिति में नहीं, अन्यथा ऐसे उत्पादों को ऑर्डर के अनुरूप माना जाएगा और ग्राहक द्वारा बेशर्त स्वीकार किया जाना चाहिए।

6.2 ग्राहक उन उत्पादों की डिलीवरी को अस्वीकार करने का हकदार होगा जो क्षतिग्रस्त, अप्रचलित या सहमत ऑर्डर ("अस्वीकृत उत्पाद") के साथ असंगत हों, ऐसा न करने पर उत्पादों को ग्राहक द्वारा बेशर्त स्वीकार किया गया माना जाएगा और फ्लोरा एफजी के खिलाफ दावा करने या उत्पादों को अस्वीकार करने के ग्राहक अपने अधिकारों को निरस्त कर देगा।

6.3 अस्वीकृत उत्पादों के संबंध में फ्लोरा एफजी का दायित्व फ्लोरा एफजी के विकल्प पर सीमित होगा, (i) उचित समय के भीतर संबंधित उत्पादों का रिप्लेसमेंट, या (ii) संबद्ध उत्पादों के लिए ग्राहक द्वारा फ्लोरा एफजी को भुगतान की गई कीमत की भरपाई। ग्राहक द्वारा फ्लोरा एफजी को शिपमेंट लौटाने की इजाजत केवल तभी दी जाती है, जब फ्लोरा एफजी ने इसकी पूर्व लिखित सहमति दी हो।

6.4 इस उप-खंड 6 और उप-खंड 8 के प्रावधान फ्लोरा एफजी द्वारा आपूर्ति किए गए किसी भी मरम्मत या रिप्लेसमेंट उत्पाद पर लागू होंगे।

7. कीमत और भुगतान

7.1 मूल्य और मुद्राएं फ्लोरा एफजी की पुष्टि में निर्धारित की जाती हैं और किसी भी लागू बिक्री कर, मूल्य वर्धित कर या किसी समकक्ष कर ("वैट") से अलग हैं, जिसका इवॉइस मूल्य के अतिरिक्त ग्राहक द्वारा बनाया जाएगा और भुगतान किया जाएगा। अगर किसी लागू कानून के तहत ग्राहक को फ्लोरा एफजी के कारण भुगतान में से किसी भी राशि को रोकने या कटौती करने की जख्तर पड़ती है, और अगर यदि ऐसी कोई रोक या कटौती नहीं की गई थी, तो ग्राहक फ्लोरा एफजी को भुगतान की जाने वाली राशि को फ्लोरा एफजी को मिलने वाली राशि के साथ छोड़ने के लिए आवश्यक राशि से बढ़ा देगा।

7.2 डिलीवरी पूरी होने पर या उसके बाद किसी भी समय फ्लोरा एफजी उत्पाद के लिए ग्राहक को इवॉइस दे सकता है। जब तक व्यापार शर्तों या ज्वाइंट बिजनेस प्लान में कुछ अन्य सहमति न हो, ग्राहक को फ्लोरा एफजी से इवॉइस मिलने के तीस (30) दिनों के भीतर फ्लोरा एफजी द्वारा निर्धारित बैंक खाते में पूर्ण और समाशोधित धनराशि का भुगतान करना होगा। जहां क्रेडिट नोट का इस्तेमाल भुगतान के रूप में किया जा रहा हो (फ्लोरा एफजी की लिखित मंजूरी के अधीन), क्रेडिट नोट संख्या को ग्राहक की रफिरेंस ऐडवाइस के भीतर कोट किया जाना चाहिए।

7.3 अगर ग्राहक नियत तिथि तक इस समझौते के तहत भुगतान नहीं कर पाता है, तो फ्लोरा एफजी के किसी भी अन्य अधिकार या उपाय को सीमित किए बिना, फ्लोरा एफजी को पूर्ण भुगतान होने तक उत्पादों की आगे की डिलीवरी को निलंबित करने का अधिकार होगा और ग्राहक को नियत तिथि से लेकर अतिरिक्त राशि के वास्तविक भुगतान तक, चाहे फैसले से पहले या बाद में हो, LIBOR आधार दर से 6% प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त राशि पर ब्याज का भुगतान करना होगा। ऐसा ब्याज नियत तिथि से लेकर अतिरिक्त राशि के वास्तविक भुगतान तक चाहे फैसले से पहले या बाद में हो, दैनिक आधार पर लगाया जाएगा। ग्राहक को अतिरिक्त राशि के साथ ब्याज का भुगतान करना होगा।

7.4 ग्राहक इस समझौते के तहत देय सभी भुगतान, सेट-ऑफ या काउंटरक्लेम के जरिए किसी भी कटौती के बगैर करेगा। गुणवत्ता या ग्राहक द्वारा प्रस्तुत किसी भी अन्य दावे के बारे में ग्राहक और फ्लोरा एफजी के बीच कोई विवाद व होने पर ग्राहक को भुगतान निलंबित करने या फ्लोरा एफजी के किसी भी बिना भुगतान किए इवॉइस के एवज में किसी भी राशि को समाशोधित करने का अधिकार नहीं मिलेगा।

7.5 इवॉइस से जुड़े कोई भी शिफाकृत इवॉइस की तिथि के आठ (8) दिनों के भीतर फ्लोरा एफजी को सूचित की जानी चाहिए। उसके बाद यह माना जाएगा कि ग्राहक ने इवॉइस को स्वीकृत कर लिया है।

8. वारंटी, आश्वासन, शपथ

8.1 हरेक पक्ष दूसरे को आश्वासन देता है, वारंटी देता है और वचन देता है कि:

(a) इसके पास इस समझौते के तहत अपने दायित्वों के अधीन आने और उनका पालन करने की पूरी शक्ति और अधिकार है और न तो इस समझौते के अधीन आने से और न ही इसके तहत अपने दायित्वों का प्रदर्शन करने से किसी अन्य समझौते या उस पर बाध्यकारी कानूनी प्रतिबंध का उल्लंघन नहीं होगा;

(b) इस समझौते के तहत अपने दायित्वों के प्रदर्शन हेतु आवश्यक सभी लाइसेंस, अनुमति, अनुमोदन, प्राधिकरण, सहमति और परमिट को हर समय बनाए रखेगा; और

(c) यह इस समझौते के तहत अपने दायित्वों को सभी लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार कड़ाई से पूरा करेगा।

8.2 फ्लोरा एफजी ग्राहक को आश्वासन देता है, वारंटी देता है और वचन देता है कि:

(a) डिलीवरी के समय ग्राहक को उत्पादों के ऊपर उसका पूर्ण कानूनी, लाभकारी और दोषरहित रहित स्वामित्व होगा;

(b) डिलीवरी की तिथि पर, उत्पाद ऑर्डर की सामग्री का अनुपालन करते हैं; और

(c) डिजाइन, सामग्री और कारीगरी में वास्तविक त्रुटियों से मुक्त होगा।

8.3 ग्राहक फ्लोरा एफजी को आश्वासन देता है, वारंटी देता है और वचन देता है कि:

(a) ग्राहक उन उत्पादों को नहीं बेचेगा जिनका अंतिम गंतव्य स्थान किसी देश में है (प्रत्येक "प्रतिबंधित देश") जो यूरोपीय यूनियन और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों या निर्यात निबंधन या पेंसल्टीज के अधीन हो;

(b) हर समय यह उत्पादों को अच्छी और आसानी से बिक्री योग्य स्थिति में रखेगा और आवश्यक देखभाल के साथ उत्पादों को संभालेगा और फ्लोरा एफजी द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश के अनुसार कोई भी कार्य या ऐसी चीज नहीं करेगा, जो उत्पादों की गुणवत्ता या सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है; और

(c) किसी भी तरह से यह उत्पादों का इस्तेमाल नहीं करेगा, जो फ्लोरा एफजी या फ्लोरा एफजी के किसी भी ग्रांड की प्रतिष्ठा पर नुकसान डालने वाला प्रभाव डाल सकता है।

8.4 इस समझौते में स्पष्ट रूप से निर्धारित किए गए के अलावा अन्य सभी वारंटी या शर्तें (चाहे व्यक्त या निहित हो) गुणवत्ता, स्थिति, विवरण, नमूने के अनुपालन या उद्देश्य के लिए उपयुक्तता (चाहे वैधानिक या अन्य हो) को कानून द्वारा अनुमत सीमा तक इस समझौते से पूरी तरह से बाहर रखा गया है।

8.5 ग्राहक इस उप-खंड 8 के किसी भी उल्लंघन के लिए फ्लोरा एफजी को मुआवजा देगा और उसे हानिरहित रखेगा।

9. प्रमोशन

9.1 "प्रमोशन" ग्राहक द्वारा उपभोक्ता को दिया गया एक खास ऑफ़र है, जिसके तहत ग्राहक सीमित अवधि के लिए, विशिष्ट उत्पादों को कम कीमत पर, या अन्य उत्पादों को बगैर किसी अतिरिक्त शुल्क के या कम कीमत पर बेचने के लिए सहमत होता है, अथवा जो एक जैसे प्रमोशन, या एक जैसे या समान प्रभाव वाले किसी भी अन्य प्रमोशन के अधीन हो। "प्रमोशन फंडिंग" फ्लोरा एफजी द्वारा ग्राहक को विशिष्ट प्रमोशन को फंड करने या आंशिक रूप से फंड करने के लिए प्रदान की जाने वाली फंडिंग है।

9.2 प्रमोशन और प्रमोशन फंडिंग से संबंधित शर्तों पर प्रलोरा एफजी और ग्राहक के बीच अलग-अलग आधार पर पूर्व-सहमति होगी और इसे एक ज्वाइंट बिजनेस प्लान में शामिल किया जा सकता है।

9.3 ग्राहक सभी सहायक डेटा प्रदान करेगा (नीचे उप-खंड 9.4 देखें) और प्रासंगिक प्रमोशन की समाप्ति के 90 दिनों के भीतर प्रलोरा एफजी से प्रमोशनल फंडिंग का दावा करेगा। पिछले वाक्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाले जाएंगे, अगर ग्राहक संबंधित प्रमोशन की अंतिम तिथि से एक वर्ष के भीतर ऐसा दावा करने या व्यापक सहायक डेटा प्रदान नहीं कर पाता है, तो वह ऐसे उत्पादों के संबंध में किसी भी प्रमोशनल फंडिंग का हकदार नहीं रह जाएगा।

9.4 ग्राहक इस बात की पुष्टि करते हुए सभी विक्री और अन्य संबद्ध सहायक डेटा प्रदान करेगा कि उत्पाद, जिसके लिए प्रमोशनल फंडिंग का दावा किया गया है या प्रदान किया गया है, प्रमोशन और प्रमोशनल फंडिंग के अनुरूप ही खरीदा, बेचा गया था। इस तरह के सहायक डेटा में डिलीवरी का एक टिप्पणीयुक्त प्रमाण, अधिकृत प्रलोरा एफजी प्रतिनिधि से मूल्य की पुष्टि/प्राधिकरण, फंडिंग समझौता, ट्रिगर विक्री डेटा (पूर्वव्यापी प्रमोशनल दावों के लिए) और/या प्रलोरा एफजी द्वारा उचित रूप से अनुरोध किए गए अन्य डॉक्यूमेंट्स शामिल हो सकते हैं।

9.5 अगर ग्राहक प्रमोशन के लिए इन शर्तों का उल्लंघन करता है, तो प्रलोरा एफजी इन कार्यवाही का हकदार होगा: (a) प्रमोशनल फंडिंग का पूरा या आंशिक भुगतान रोक देगा; (b) अगर भुगतान किया जाता है, तो प्रमोशनल फंडिंग की पूरी राशि (उचित इवॉइस जारी करने पर देय) पुनः प्रकाश करेगा और/या इसे ग्राहक को देय अन्य राशियों के एवज में समावोजित करेगा; (c) किसी भी अतिरिक्त प्रमोशनल फंडिंग के ऑफर को बंद कर देगा; और (d) प्रमोशन के दौरान उत्पादों की आपूर्ति बंद कर देगा।

10. बौद्धिक संपदा अधिकार

10.1 इस समझौते में ग्राहक को कुछ भी किसी भी तरह से हस्तांतरित नहीं किया जाएगा, और ग्राहक के पास किसी भी प्रलोरा एफजी इकाई ("प्रलोरा एफजी आईपी") के स्वामित्व वाले या इस्तेमाल किए जाने वाले किसी भी बौद्धिक संपदा अधिकार में या उपयोग करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

10.2 ग्राहक ऐसा कुछ भी नहीं करेगा या करने से चूक जाएगा जो किसी प्रलोरा एफजी आईपी को नुकसान पहुंचा सकता है या खतरे में डाल सकता है और ध्यान रखेगा कि उसके ऐप्लिकेट्स भी ऐसा न करें या न करें। इस समझौते में, "ऐप्लिकेट्स" का अर्थ है, ग्राहक के मामले में, कोई भी कॉर्पोरेशन जो ग्राहक को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करने वाला, द्वारा नियंत्रित या सामान्य नियंत्रण में रहता है।

10.3 ग्राहक इस उप-खंड 10 के किसी भी उल्लंघन या प्रलोरा एफजी के किसी भी आईपी के किसी भी वास्तविक, धमकी भरे या संदिग्ध उल्लंघन के बारे में तुरंत और पूरी तरह से प्रलोरा एफजी को सूचित करेगा, और प्रलोरा एफजी के अनुरोध पर ऐसी सभी चीजें करेगा, जो ऐसे किसी भी उल्लंघन या दावे के संबंध में कोई कार्यवाही करने या उसका विरोध करने में प्रलोरा एफजी की सहायता करने के लिए उचित रूप से जरूरी हो सकता है।

10.4 ग्राहक प्रलोरा एफजी के उत्पाद केवल प्रलोरा एफजी से ही खरीदेगा। ग्राहक खुद या किसी अन्य तीसरे पक्ष या व्यक्ति के जरिए किसी भी गतिविधि में भाग नहीं लेगा, जिसके परिणामस्वरूप किसी भी तरह से प्रलोरा एफजी उत्पादों के समानांतर आयात में परिणत होगा या बढ़ावा मिलेगा।

10.5 ग्राहक प्रलोरा एफजी के बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन करने वाले, नकली या नकली या समान दिखने वाले उन उत्पादों या अन्य उत्पादों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं बेचेगा, विक्री का ऑफर नहीं करेगा, हँडल नहीं करेगा, निर्माण नहीं करेगा, उत्पादन नहीं करेगा और/या वितरित नहीं करेगा, निर्यात या आयात नहीं करेगा, जिनके ऊपर किसी भी ऐसे चिह्न या डिजाइन हों, जो प्रलोरा एफजी उत्पादों के समान दिखे या भ्रमक रूप से समान दिखते हों। अगर ग्राहक को प्रलोरा एफजी के बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन करने वाली वस्तुओं, नकली या नकली या एक जैसे दिखने वाले उत्पादों की मौजूदगी, स्थान, आयात, निर्यात, निर्माण या वितरण के बारे में पता चलता है तो वह प्रलोरा एफजी को तुरंत सूचित करेगा।

11. गोपनीयता

11.1 हरेक पक्ष दूसरे पक्ष की पूर्व लिखित सहमति के बगैर गोपनीय जानकारी (नीचे परिभाषित) का खुलासा नहीं करेगा और गोपनीय जानकारी के अनाधिकृत उपयोग और प्रकटीकरण को रोकने के लिए कम से कम उच्च स्तर की देखभाल का उपयोग करने के लिए सहमत है जैसा कि वह वैसी ही महत्व के अपनी गोपनीय जानकारी के संबंध में उपयोग करता है (लेकिन किसी भी स्थिति में देखभाल के उचित स्तर से कम न हो)। "गोपनीय जानकारी" में (i) प्रकटीकरणकर्ता के संचालन से संबंधित व्यावसायिक और तकनीकी जानकारी शामिल हैं, जिसमें अन्य के साथ व्यापक रूप से शामिल शामिल हैं: उत्पाद, खरीद, परियोजना योजना, आवश्यकताएँ, व्यावसायिक शर्तें, लोग, प्रक्रियाएँ, सूचना प्रणाली, सुविधाएँ, रसद, वित्त, विक्री, और, मार्केटिंग (ii) जो इसके प्रकटीकरण से जुड़ी परिस्थितियों या जानकारी की प्रकृति को देखते हुए एक उचित व्यक्ति उन्हें गोपनीय मानेगा। गोपनीय जानकारी में वह जानकारी शामिल नहीं है जो: (a) जो प्रकटीकरण के समय पब्लिक डोमेन में प्रकाशित या कई अन्य उपलब्ध है; (b) जो प्रकटीकरण के बाद पब्लिक डोमेन का हिस्सा बन जाता है (विश्वास या गोपनीयता के उल्लंघन के अलावा); (c) जो प्रकटीकरण से प्रामि से पहले प्राप्तकर्ता को ज्ञात था, बशर्ते कि इस तरह के पूर्व ज्ञान को दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा प्रमाणित किया जा सके; (d) जो किसी तीसरे पक्ष (कर्मचारियों या किसी भी पक्ष के एजेंटों के अलावा) द्वारा प्राप्तकर्ता को प्रकट किया जाता है, प्राप्तकर्ता को ऐसी जानकारी उपलब्ध करने में, प्रकटीकरण करने वाले की गोपनीयता के किसी भी दायित्व का उल्लंघन नहीं होता है; या (e) जो प्राप्तकर्ता द्वारा स्वतंत्र रूप से विकसित किया गया हो, बशर्ते कि ऐसे स्वतंत्र विकास को दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा प्रमाणित किया जा सके।

11.2 इस खंड 11 में बताए गोपनीयता के दायित्व इस समझौते के किसी समापन के बावजूद, इस खंड 11 के तहत प्रकटीकरण के बाद दो (2) वर्षों तक बने रहेंगे।

12. प्राकृतिक घटना

12.1 कोई भी पक्ष अपने उचित नियंत्रण से बाहर किसी भी परिस्थिति के कारण जिसमें व्यापक रूप से ईश्वरीय घटना, कानून, वैधानिक, अत्यादेश, विनिर्माण, विधायी उपाय, सरकारों के कार्य या अन्य प्रशासनिक उपाय, किसी अदालत के आदेश या फैसला, भूकंप, बाढ़, आग, विस्फोट, युद्ध, आतंकवाद, दंगा, तोड़फोड़, दुर्घटना, महामारी, हड़ताल, तालाबंदी, मंदी, श्रमिक गड़बड़ी, आवश्यक श्रम या कच्चे माल प्राप्त करने में कठिनाई, परिवहन की कमी या विफलता, संवेद्य या आवश्यक मशीनों का टूटना, आपातकालीन मरम्मत या रखरखाव, उपयोगिताओं का टूटना या कमी, वितरण में देरी या प्रलोरा एफजी या उपभोक्ताओं द्वारा आपूर्ति किए गए सामान में दोष ("प्राकृतिक घटना") शामिल होंगे, दूसरे पक्ष के प्रति किसी भी दायित्व को पूरा करने में किसी देरी, प्रतिबंध, हस्तक्षेप या विफलता से पैदा होने वाली किसी भी क्षति, हानि, लागत या व्यय के लिए किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होगा।

12.2 प्राकृतिक घटना के घटित होने पर, पीड़ित पक्ष तुरंत दूसरे पक्ष को लिखित नोटिस द्वारा सूचित करेगा, जिसमें घटना का कारण बताया जाएगा और बताया जाएगा कि यह समझौते के तहत उसके दायित्वों के प्रदर्शन को कैसे प्रभावित करेगा। किसी भी देरी की स्थिति में, डिलीवरी का दायित्व प्राकृतिक घटना के कारण समय की हानि के बराबर अवधि के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। हालांकि, अगर कोई प्राकृतिक घटना जारी रहती है या सहमत डिलीवरी तिथि के बाद तीस (30) दिनों से अधिक की अवधि तक जारी रहने की उम्मीद है, तो कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष के प्रति किसी भी दायित्व के बिना ऑर्डर के प्रभावित हिस्से को रद्द करने का हकदार है।

13. दायित्व की सीमा

निर्माकृत के अंतर्गत या उनके संबंध में 13.1 खंड 13.3 के अधीन, समझौते में प्रलोरा एफजी की कुल देनदारी, गलत कृत्य (लापरवाही सहित), गलत बयानी या अन्य कोई तरीका:

(a) यह समझौता समग्र रूप से समझौते के तहत लागू ऑर्डर के तहत उत्पादों के लिए ग्राहक द्वारा भुगतान की गई या देय कीमत के बराबर राशि तक सीमित होगा; और

(b) ऑर्डर कुल मिलाकर उस ऑर्डर के तहत उत्पादों के लिए ग्राहक द्वारा भुगतान की गई या देय कीमत के बराबर राशि तक सीमित होगा।

13.2 खंड 13.3 के अधीन, प्रलोरा एफजी इस समझौते के संबंध में समझौते, गलत कृत्य (लापरवाही या वैधानिक कर्तव्य के

उल्लंघन सहित), गलत बयानी या अन्य कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

(a) वास्तविक या प्रत्याशित लाभ की हानि या कोई अन्य आर्थिक हानि (उपयोग की किसी भी हानि, उत्पादन की हानि, व्यापार रुकावट से हानि, ब्याज, राजस्व, प्रत्याशित बचत या व्यापार या सद्भावना को नुकसान सहित), काम करने की लागत में वृद्धि या देर से डिलीवरी या व्यर्थ व्यय के परिणामस्वरूप होने वाली क्षति और तीसरे पक्ष द्वारा किसी भी प्रकार की हानि या क्षति के लिए दायित्व (भले ही प्रलोरा एफजी को ऐसे किसी भी नुकसान की संभावना के बारे में पहले से सलाह दी गई हो); या

(b) कोई भी अप्रत्यक्ष, विशेष या परिणामी हानि या नुकसान, चाहे जो भी पैदा होता हो।

13.3 इस समझौते में कुछ भी प्रलोरा एफजी की जिम्मेदारी को किसी भी दायित्व के लिए बाहर, प्रतिबंधित या सीमित नहीं करेगा जिसे संचालक कानून के तहत कानूनी रूप से बाहर नहीं किया जा सकता है या सीमित नहीं किया जा सकता है (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है)।

13.4 ग्राहक मानता है कि इस समझौते में निर्धारित सीमाएं और बहिष्करण सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उचित हैं।

14. उत्पाद को वापस करना

14.1 अगर किसी भी उत्पाद को वापस मंगाया जाता है, तो ग्राहक वापस करने की रणनीति विकसित करने में रिटॉल ऑपरेशन और आवश्यकतानुसार ऐसी रिपोर्ट तैयार करने में प्रलोरा एफजी को उचित सहायता प्रदान करेगा और निगरानी में प्रलोरा एफजी और किसी भी लागू सरकारी एजेंसी, इकाई या प्राधिकरण ("सरकारी निकाय") के साथ काम करेगा।

14.2 जब तक कानूनी रूप से जरूरी न हो, ग्राहक स्वेच्छा से प्रलोरा एफजी की पूर्व लिखित सहमति के बगैर ग्राहक को डिलिवर किए गए उत्पादों को वापस लेने की पहल नहीं करेगा और उसके बाद ही निकासी को लागू करने की प्रक्रिया के बारे में प्रलोरा एफजी के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।

14.3 ग्राहक, प्रलोरा एफजी के अनुरोध पर, प्रलोरा एफजी को ऐसे किसी भी उत्पाद का पता लगाने और पुनर्प्राप्त करने में सभी उचित सहायता देगा जो विनिर्देश के अनुसार नहीं है और प्रलोरा एफजी द्वारा ग्राहक को आपूर्ति की गई है, और उत्पाद वापस करने से जुड़ी सभी लागतें ग्राहक द्वारा वहन किया जाएगा। ग्राहक उत्पाद के संबंध में किसी भी संचार के बारे में प्रलोरा एफजी को तुरंत सूचित बताएगा और उनकी प्रतियां प्रदान करेगा, चाहे वह किसी भी सरकारी निकाय के साथ रिटॉल या अन्य से संबंधित हो। ग्राहक उत्पाद रिटॉल से संबंधित किसी भी जानकारी का खुलासा नहीं करेगा या किसी तीसरे पक्ष को अप्रत्यक्ष नहीं कराएगा।

15. स्वतंत्र ठेकेदार

15.1 प्रलोरा एफजी और ग्राहक स्वतंत्र ठेकेदार हैं, और इसके द्वारा बनाए गए संबंध को मुख्य निकाय या एजेंट का नहीं माना जाएगा। किसी तीसरे पक्ष को कोई विक्री या उसके प्रति कोई दायित्व किसी भी तरह से दूसरे पक्ष को बाध्य नहीं करेगा।

16. नन-असाइनमेंट

16.1 प्रलोरा एफजी ग्राहक की पूर्व लिखित सहमति के बगैर किसी भी समय इस समझौते के तहत अपने सभी या किसी भी अधिकार और जिम्मेदारियों को सौंप सकता है, प्रत्यायोजित कर सकता, उप-समझौते कर सकता, हस्तांतरण कर सकता, शुल्क लगा सकता या अन्य रूप में निपटान कर सकता है, हालांकि ग्राहक प्रलोरा एफजी की पूर्व लिखित सहमति के बगैर समझौते के तहत इसके अधिकार या दायित्व नहीं सौंप सकता है।

17. अवधि और समापन

17.1 अपने अन्य अधिकारों व उपायों को सीमित किए बगैर, प्रलोरा एफजी ग्राहक को लिखित सूचना देकर इस समझौते को समाप्त कर सकता है अगर:

(a) ग्राहक इस समझौते के तहत ऐसे भुगतान की नियत तिथि के दस (10) दिनों के भीतर भुगतान नहीं कर पाता है;

(b) ग्राहक इस समझौते का वास्तविक रूप से उल्लंघन करता है (और ग्राहक को इसका समाधान करने की आवश्यकता वाले नोटिस के दस (10) दिनों के भीतर इस महत्वपूर्ण उल्लंघन (जहां सुधार योग्य हो) को सुधारने में असमर्थ रहता है);

(c) ग्राहक दिवालिया हो जाता है या उसके दिवालिया होने की अधिक संभावना हो, दिवालियापन की स्थिति में आ जाता है, व्यक्तिगत स्वीच्छक व्यवस्था, परिसमापन, समापन, रिसेवरशिप या प्रशासनिक रिसेवरशिप, प्रशासन, एक कॉर्पोरेट स्वीच्छक व्यवस्था के अधीन आता है या लेनदारों के साथ किसी भी ऋण का समझौता करता है या कोई कार्यवाही करता है, इसके संबंध में किसी भी क्षेत्राधिकार में जिसके अधीन यह आता है, या ऐसे क्षेत्राधिकार में होने वाली कोई घटना जिसका प्रभाव इस खंड में किसी भी घटना के बराबर या समान है;

(d) ग्राहक या प्रलोरा एफजी को प्रभावित करने वाली प्राकृतिक घटना जारी रहती है और तीस (30) दिनों से अधिक समय तक उत्पादों की आपूर्ति को रोकती है।

17.2 किसी भी वृद्ध से समझौते समाप्त होने पर ग्राहक को प्रलोरा एफजी के सभी बकाया अवैतनिक इवॉइस और ब्याज का भुगतान प्रलोरा एफजी को तुरंत करना होगा।

17.3 किसी भी कारण से इस समझौते की समाप्ति का उससे पूर्व अर्जित किसी भी अधिकार या दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिसमें समाप्ति की तिथि पर या उससे पहले मौजूद इस समझौते के किसी भी उल्लंघन के संबंध में नुकसान का दावा करने का अधिकार भी शामिल है। समझौते का कोई भी प्रावधान जो स्पष्ट रूप से या निहितार्थ द्वारा समाप्ति पर या उसके बाद लागू होने या जारी रहने की मंशा रहता है, पूरी शक्ति और प्रभाव में रहेगा।

17.4 इस समझौते की समाप्ति पर या खंड 17.1(c) में निर्धारित किसी भी घटना के घटित होने पर:

(a) ग्राहक का उत्पादों को फिर से बेचने या अपने व्यवसाय के सामान्य अवधि में उनका इस्तेमाल करने का अधिकार तुरंत समाप्त हो जाता है;

(b) प्रलोरा एफजी को ग्राहक से अपने पास मौजूद सभी उत्पादों को वितरित करने की आवश्यकता हो सकती है जिन्हें दोबारा नहीं बेचा गया हो, या अपरिवर्तनीय रूप से किसी अन्य उत्पाद में शामिल नहीं किया गया हो; और

(c) ग्राहक इस बात का ध्यान रखेगा कि प्रलोरा एफजी और उसके कर्मचारी, एजेंट व उप-ठेकेदार ग्राहक के स्वामित्व वाले, कच्चे वाले या नियंत्रण वाले किसी भी परिसर या वाहनों और/या किसी अन्य स्थान पर जहां कोई भी ऐसे उत्पाद मौजूद हों और उनके निरीक्षण और रिकवर् करने के लिए बगैर नोटिस के किसी भी समय वहां जाने के लिए अधिकृत होंगे।

18. सामान्य

18.1 ग्राहक को डिलिवर किए उत्पादों से संबंधित या अन्य तरीके से इस समझौते के संबंध में ग्राहक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए सभी दावों के लिए ग्राहक प्रलोरा एफजी को मुआवजा देगा।

18.2 सभी व्यापार शर्तों व ऑर्डरों के साथ यह समझौता पक्षों के बीच संपूर्ण समझौता अपने विषय से संबंधित सभी पिछले समझौतों, वादों, आश्वासनों, वारंटियों, प्रतिनिधित्व और उनके बीच की समझ, चाहे लिखित या मौखिक हो, को हटाएगा और समाप्त कर देता है।

सभी पक्ष स्वीकार करते हैं कि यह समझौता पूरी तरह या आंशिक रूप से वारंटी, बयान, वादा या आश्वासन पर टिका नहीं है न ही किसी भी पक्ष को इस समझौते में स्पष्ट रूप से निर्धारित के अलावा कोई वारंटी, बयान, वादा या आश्वासन दिया गया है।

18.3 कोई भी व्यक्ति या निकाय जो इस समझौते का पक्षकार नहीं है, उसे इस समझौते की किसी भी शर्त को लागू करने या उस पर भरोसा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

18.4 इस समझौते (या किसी अंश) के तहत या इसके संबंध में किसी भी पक्ष द्वारा अपने किसी भी अधिकार, शक्ति या उपचार का प्रयोग या गैर-प्रयोग करने में कोई देरी उस अधिकार, शक्ति या उपचार की छूट के रूप में संचालित नहीं होगी।

18.5 इस समझौते का कोई भी बदलाव तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि यह लिखित रूप में न किया जाता हो, जो विशेष रूप से इस समझौते को संशोधित करता हो और दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित न किया जाता हो।

18.6 अगर समझौते का कोई प्रावधान (या इसका कोई भाग) अवैध, अमान्य या अपरिवर्तनीय है या ऐसा हो जाता है, तो इसे वैध, कानूनी और प्रवर्तनीय बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम सीमा तक संशोधित माना जाएगा। अगर ऐसा संशोधन संभव न हो, तो संबद्ध प्रावधान या आंशिक-प्रावधान को हटाया गया माना जाएगा और समझौते के बाकी प्रावधानों या उस प्रावधान के बाकी हिस्सों की वैधता, मान्यता या प्रवर्तनीयता किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगी।

19. नोटिस

19.1 इस समझौते के तहत सभी नोटिस, सहमति व अनुमोदन को प्राप्तकर्ता पक्ष के पंजीकृत कार्यालय या उसके व्यवसाय के मुख्य स्थान (या समय-समय पर पार्टी द्वारा अधिसूचित ऐसे अन्य पते) को कूरियर, ओवरनाइट मेल सेवा या प्रमाणित मेल (डाक शुल्क प्रीपेड और अनुरोधित वापसी रसीद) दूसरे पक्ष को लिखित रूप में वितरित किए जाने चाहिए। अलग-अलग मामला के आधार पर पक्षों के बीच ईमेल के जरिए अधिसूचना पर पूर्व-सहमति हो सकती है।

20. भाषा

20.1 ये नियम व शर्तें अंग्रेजी और फ्लोरा एफजी के इनकॉर्पोरेशन के देश की स्थानीय भाषा में वर्णित की गई हैं। इस समझौते के अंग्रेजी संस्करण तथा स्थानीय भाषा वाले संस्करण के बीच किसी भी भिन्नता की स्थिति में, पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि लागू कानून द्वारा अनुमत सीमा तक, अंग्रेजी भाषा संस्करण ही सदैव मान्य रहेगा।

21. कानून एवं क्षेत्राधिकार

21.1 जब तक व्यापार शर्तों में कुछ अन्य न बताया जाता हो, प्रत्येक पक्ष इस बात से सहमत है कि यह समझौता (और इसका प्रत्येक भाग) फ्लोरा एफजी के इनकॉर्पोरेशन के देश ("शासी कानून") के कानूनों के अनुसार शासित और संचालित माना जाएगा।

21.2 इस समझौते के संबंध में या उससे पैदा होने वाले विवाद की स्थिति में, विवाद को फ्लोरा एफजी के इनकॉर्पोरेशन के देश की अदालतों में भेजा जाएगा और अंतिम रूप से वहीं निराकरण किया जाएगा।

21.3 किसी भी ऑर्डर में निर्धारित इंटरनेशनल चैंबर ऑफ़ कॉमर्स (INCOTERMS) द्वारा तैयार डिलीवरी शर्तों की व्याख्या के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियम उस ऑर्डर पर लागू होंगे, मगर जहां वे इस समझौते के साथ टकराव पैदा करते हैं, वहां यह समझौता मान्य होगा।

21.4 पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि माल की अंतर्राष्ट्रीय बिक्री से जुड़ा 1980 का वियना कन्वेंशन इस समझौते पर लागू नहीं होगा।

ये नियम व शर्तें 17 सितंबर 2024 से लागू हैं और बागैर किसी सूचना के किसी भी समय बदले जा सकते हैं। इन नियमों और शर्तों का वर्तमान संस्करण www.florafoodgroup.com/supplier-centre पर देखा जा सकता है।

विशेष शर्तें

यूनाइटेड किंगडम

उपभोक्ता दावे। अगर कोई उपभोक्ता ग्राहक से खरीदे गए (और फ्लोरा एफजी द्वारा ग्राहक को आपूर्ति किए गए) किसी दोषपूर्ण उत्पाद के बारे में भए गए वाली शिकायत करता है, बशर्ते कि ग्राहक तुरंत फ्लोरा एफजी को शिकायत का पूरा विवरण प्रदान कर देता हो और ऐसी शिकायत ग्राहक के किसी कार्य या चूल के कारण नहीं है, तो फ्लोरा एफजी ग्राहक की सहायता की मान्यता में, सद्भावनापूर्ण व्यवहार के रूप में उपभोक्ता को धन वापस करने की लागत (उपभोक्ता द्वारा भुगतान की गई खुदरा कीमत तक) की भरपाई करेगा।

वेहिकल टर्नआराउंड एवं रीटैडरिंग। फ्लोरा एफजी के पास किसी भी उस वाहन के लिए £30 प्रति घंटे/भाग घंटे की दर से ग्राहक विलंब शुल्क लेने का अधिकार सुरक्षित है, जो अपने आगमन के 90 मिनट के भीतर या सहमत बुकिंग-इन टाइम (जहां कोई मौजूद है) के भीतर मुक्त नहीं किया जाता है। जहां फ्लोरा एफजी या उसके कैरियर की गलती के बिना अत्यधिक देरी के कारण डिलीवरी से इनकार कर दिया जाता है या वापस कर लिया जाता है, फ्लोरा एफजी रीटैडरिंग की किसी भी लागत को ग्राहक को हस्तांतरित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

ग्रांडकट बार कोडा। फ्लोरा एफजी बार कोडा की छपाई के लिए GS1-UK के नियमों का पालन करने का प्रयास करेगा, मगर ऐसे बार कोडा ली प्रिंटिंग की गैर-मौजूदगी या त्रुटि के कारण होने वाले किसी भी नुकसान, क्षति या व्यय के लिए ग्राहक (चाहे लापरवाही या अन्यथा) के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा।

वारंटीज। यहां आपूर्ति की जाने वाली सभी खाद्य सामग्री आपूर्ति के समय हर लिहाज से फूड सेफ्टी ऐक्ट 1990 (समय-समय पर संशोधित) की शर्तों को पूरा करने की गारंटी देती है।

GSCOP. GSCOP को इन नियमों व शर्तों में पूरी तरह से शामिल किया जाएगा और अगर GSCOP की शर्तों व इन नियमों व शर्तों के बीच कोई विसंगति होती है, तो इन नियमों व शर्तों को प्राथमिकता दी जाएगी।

दायित्व। किसी समझौते में कुछ भी किसी व्यक्ति के निम्नांकित दायित्व को सीमित या बाहर नहीं करेगा: (a) उनकी लापरवाही के कारण हुई मृत्यु या व्यक्तिगत चोट; (b) धोखाधड़ी या धोखादायक मिथ्या प्रस्तुति; या (c) कोई भी दायित्व जिसे कानूनी तौर पर बाहर नहीं किया जा सकता या जिसे सीमित नहीं किया जा सकता।

वारंटी। माल की विक्री अधिनियम 1979 की धारा 13 से 15 में वर्णित शर्तों को, कानून द्वारा अनुमत संपूर्ण सीमा तक, समझौते से बाहर रखा गया है।

तृतीय पक्ष के अधिकार। यह समझौता किसी भी तीसरे पक्ष को कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है, चाहे अनुबंध (तीसरे पक्ष के अधिकार) अधिनियम 1999 के अनुसार, या किसी अन्य रूप में हो।